

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हैदरीपुरा

उत्तवान

1. सीता पत्नी बंदी जाति कुम्हार निवासी बराना तहसील उनियारा जिला टोंक
 2. धर्मला पुत्री बंदी जाति कुम्हार निवासी बराना तहसील उनियारा जिला टोंक
 3. मुकेश पुत्र बंदी जाति कुम्हार निवासी बराना तहसील उनियारा जिला टोंक
 4. बत्तीलाल पुत्र बंदी जाति कुम्हार निवासी बराना तहसील उनियारा जिला टोंक
- वादीगण

बनाम

1. शयोदास पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी बराना तहसील उनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादी


दावा बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 59/08 वर्ष 2014

वादी की ओर से श्री बी०एल०कासलीवाल वकील प्रतिवादी की ओर से..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.6.2015 को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी को हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे आ०ख०न० 88 रकबा 1.78 है० वाके ग्राम बराना तहसील उनियारा में वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें। फरिक्केन खर्च अपना अपना वहन करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 06 सन् 2015 को जारी की

गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक